

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

संख्या :- 1/पी०एम०सी०/विविध/525/12-..... राँची, दिनांक .....

अधिसूचना

बिहार लोक निर्माण संहिता में प्रावधानित एकरारनामा प्रपत्र F-2 के Clause-23 के प्रावधान को पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-ए2/नियम-08/92-6113(एस०) दिनांक 18.11.1992 द्वारा विलोपित किया जा चुका है, परन्तु फिर भी ऐसे उदाहरण संज्ञान में आये हैं कि कुछ कार्यपालक अभियंताओं द्वारा Clause-23 को एकरारनामे का अंश बनाकर एकरारनामे किये गये हैं। ऐसे सभी मामलों में अलग से सम्बन्धित अभियंता के विरुद्ध अलग से कार्रवाई की जायेगी।

अतः अब ऐसे सभी एकरारनामे जो जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा किये जायेंगे, उनमें यदि clause - 23 या अन्य किसी clause के रूप में निम्न प्रावधान हों, तो ऐसे सभी एकरारनामे गैर कानूनी एवं अवैध समझे जायेंगे।

“In case any dispute or difference shall arise between the parties or either of them upon any question relating to the meaning of the specifications, designs, drawing and instructions here before mentioned or as to the quality of workmanship or materials used on the work or as to the construction of any of the conditions or any clause or thing there in contained or as to any question, claim, rights of the parties, or any matter, or things whatsoever in any way arising out of or relating to the contract designs, drawings specifications, estimates, instruction order of these conditions or otherwise concerning the work or the execution, or failure to execute the same whether arising during the progress of work or alter the completion or abondment thereof or as the breach of those contract then entire party shall forthwith give to the order notice of, such dispute or difference and such dispute or difference shall be reffered to the Superintending Engineer of the circle and his decision there on shall be final, conclusive and binding on all the parties.”

किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया ऐसा F-2 एकरारनामा, जिसमें Clause no. 23 या अन्य किसी clause के रूप में उपरोक्त प्रावधान अंकित हो, को इस अधिसूचना की निर्गत की तिथि से कानूनी तौर से अवैध समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

संख्या :- 1/पी०एम०सी०/विविध/525/12-..... राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(सुबोध कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

संख्या :- 1/पी०एम०सी०/विविध/525/12-..... राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण एवं लेखा), झारखण्ड, राँची/महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (अंकेक्षण)/माननीय उप मुख्य मंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिं, राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख— I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा—1,2,3,4,5,6,7/ब० 7/यो० एवं 8ए०, 8बी० एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुबोध कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

संख्या :- 1/पी०एम०सी०/विविध/525/12-..... राँची, दिनांक ..... 15.03.2012

प्रतिलिपि :- वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुबोध कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)